तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 186 / 2022 चेतनदास बनाम हेतराम वगै. अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.01.2023	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब पेश शामिल मिसल है। बहस सूनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से ग्राम रोही पंचारा उर्फ अमरपुरा के खसरा नम्बर 769 / 556 तादादी 3.7935 हैक्टेयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जिस पर प्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा था। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को लेकर काफी बार सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच विवाद पैदा हो जाता हैं जिस कारण आपस में मुकदमें बाजी होती रहती हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.04.2022 को अपने खेत का सीमा ज्ञान पडोसीयों की मौजूदगी में करवाया लेकिन सही सीमाओं का चिन्हित नहीं होने के कारण विवाद बढता गया जिस पर उपरोक्त भूमि की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच विवाद बढ गया है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को छोडने के लिए तैयार नहीं है जिस कारण सीमाओं को लेकर और अधिक विवाद पैदा हो गया है । अप्रार्थीगण के पिता हडमान पुत्र लाधुराम के नाम से खसरा नम्बर 557 / 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है राजस्व रिकार्ड में अभी तक अप्रार्थीगण के पिता के नाम ही दर्ज हैं। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 557 / 2 की सीमा निश्चित होने के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तब प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.04.2022 को करवाया सीमाज्ञान के समय अप्रार्थीगण मौका पर मौजूद थें लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा सीमा को मानने से स्पष्ट मना कर दिया। अपर्थीगण सीमा को लेकर हर समय झगडा फसाद करते रहते है जिसके कारण कभी भी कोई बडी जनहानि हो सकती हैं। सीमा विवाद समाप्त करने के लिए पत्थर गडी होना अति आवश्यक हैं। प्रार्थी के खसरा नम्बर 769 / 556 की भूमि पर जबरन कब्जा कर रख है अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा पत्थर गडी के अभाव में कर रखा है इसलिए उपरोक्त भूमि की पत्थर गडी होना अति आवश्यक है पत्थर गडी के अभाव में अप्रार्थीगण बार–बार प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। अतः वकील वादी द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 769 / 556 तादादी 3.7935 हैक्टेयर ग्राम रोही पंचारा उर्फ अमरपुरा पटवार हल्का ढाणी पाण्डूसर की भूमि पर पत्थर गडी करवाने का आदेश फरमाने जिससे सीमा विवाद खत्म हो का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी, नक्शा, फर्द मौका दिनांक 18.01.2022 की प्रतियों को अवलाकन करने हेतु निवेदन किया। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया गया की पेरा 1 के तथ्य प्रार्थी द्वारा मात्र रिकार्ड गलत सेटलमेन्ट के द्वारा तैयार नामान्तरकरण संख्या 735 में दर्ज के आधार पर कथन किये गे है जो उक्त नामान्तकरण बिना रकबाराज कायम बिना किसी सक्षम व प्रकिया में किसी आदेश के अभाव में दर्ज नामान्तकरण 735 स्वतः निष्प्रभावी व शून्य है विधि की दृष्टि में मान्य नहीं हैं। नामान्तकरण संख्या 734 में स्व. मंगलाराम पुत्र लाधूराम व सीताराम पुत्र मंगलाराम का रकबा सम्वत 2039 तक रिकार्ड में दर्ज है व कभी भी रकबा आराजीराज नहीं किया गया बाद के सारे कार्यवाही व आदेश रिकार्ड अंकन स्वतः शून्य है इसका एक घोषणात्मक वाद व टी.आई. प्रार्थना पत्र जिसमें स्थगन प्राभावी रहा हैं व विवादित हैं। प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य निराधार वेग और न्याय के विरूद्ध हैं। पेरा संख्या 2 के तथ्य जिस कदर किये गये है ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra K
Date: 2023.01.27 11:15:16 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

अप्रार्थीगण ने ना तो कभी मुकदमा दावा किया ना ही अप्रार्थी ने सीमा कायम करवाई लगभग 50–60 वर्षो से शान्ति पूर्वक वादकर्ता का भौतिक कब्जा चला आ रहा है ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे है विधि विरूध अधिकार क्षेत्र आदेश भूमिधारी द्वारा किया गया हैं। पूर्व–पश्चिम उत्तर दक्षिण के किसी भी काश्तकार को सूचना नहीं दी गई हैं। पुलिस की सहायता से कार्यवाही दोषपूर्ण जबरीया बेदखल करने लिए कि गई है जिसके पैरा के समस्त तथ्य अस्वीकार हैं। पैरा संख्या 3 के तथ्य अप्रार्थी 2 के प्रस्तुत वाद अनवान हरीराम बनाम चेतनदास आदि के प्रतिकूल पेतृक जमीन के कब्जाकाश्त अप्रार्थी संख्या 2 के शान्ति पूर्वक सम्वत 2012 से लेकर 2025 तक रिकार्ड में दर्ज है और 2039 तक अन्य वाद अनवान सीताराम आदि बनाम चेतनदास आदि में यह रकबा उनके कब्जाकाश्त के हैं। कोई सीमा विवाद 40 वर्षो से नहीं रहा है ना ही कोई कार्यवाही की हैं। सम्पूर्ण पेरा पूर्णतया अस्वीकार हैं। पैरा संख्या 4 के तथ्य अस्वीकार किये गये है । पैरो संख्या 5 के कथन में सीमाज्ञान की कार्यवाही व 107,116(3), 145 की की झूठी कार्यवाही पुलिस से मिलकर साक्ष्य क्रियेट करने के लिए की गई हैं। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय कॉस्ट खारीज करने का निवेदन किया गया ।

वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की वर्तमान में उक्त भूमि किसी प्रकार के स्थगन आदि से प्रभावित नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के विरूद्ध पैरा संख्या 6 में दिनांक 28.12.2022 के आधार पर जवाब व बहस सुनने के पश्चात अप्रार्थीयों के संयोजन कुसंयोजन के आधार पर सुनने हेतु निवेदन किया । जहां तक पक्षकारों के संयोजन कुसंमायोजन व असंयोजन का प्रश्न है उसका निस्तारण प्रस्तुत दावा में साक्ष्यों व रिकार्ड के आधार पर किया जाना है । अतः पत्थरगढी वर्तमान में अतिआवश्यक हैं प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी स्वीकार कर नियमानुसार पत्थरगडी हेतु आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न सीमाज्ञान फर्द मौका प्रति अनुसार दिनांक 18.04.2022 को कार्यालय तहसीलदार लूनकरनसर के आदेश कमांक 78 व दिनांक 30.05.2019 एवं दिनांक 01.04.2022 की पालना में पटवार हल्का द्वारा खसरा नम्बर 769/556 में पंहुचे तथा सीमाज्ञान कराया। जहां तक प्रार्थना पत्र जवाब में वर्णित बाबत समेकन पक्षकारों के संयोजन कुसंमायोजन व असंयोजन का प्रश्न है उसका निस्तारण प्रस्तुत दावा में साक्ष्यों व रिकार्ड के आधार पर किया जाना है । अतः पत्थरगड़ी प्रार्थना पत्र निस्तारण में समेकन की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती हैं। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही अमरपुरा उर्फ पंचारा खसरा नम्बर 769/556 के सींवजाड़ काश्तकार को सूचित कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी सुनिश्चित कराये फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर को पालना प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखि दफ्तर हो।

(राजेन्द्र कुमार– I I)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:15:16 IST
Reason: SelfAttested